न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –16 / 2016 (आव.व.अधि)

राज्य सरकार जरिये अमित शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक, कोटा
–प्रार्थी

बनाम

श्री अरूण साकीवाल पुत्र श्री दानमल, निवासी एलआईसी बिल्डिंग के सामने, महावीर नगर, कोटा ।
मैसर्स मॉर्डन अण्डा सेन्टर जवाहर नगर कोटा
–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक– 19.11.2019

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि अमित शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी, कोटा द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि दिनांक 03.03.2016 को अवैध घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक की रोकथाम हेतु गठित जांच दल (श्री अशोक सांगवा–जिला रसद अधिकारी एवं श्रीमति संख्या सिन्हा, प्रवर्तन अधिकारी, श्री अमित शर्मा– प्रवर्तन निरीक्षक) के द्वारा जवाहर नगर कोटा स्थित मैसर्स मॉर्डन अण्डा सेन्टर, की आकस्मिक जांच की गई । वक्त मौका दुकान पर मौजूद श्री अरूण साकीवाल पुत्र दानमल उपस्थित मिली जिन्होंने स्वयं को दुकान का मालिक होना जाहिर किया । श्री अरूण साकीवाल की उपस्थिति में दुकान की जांच की गई । जांच के दौरान घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग आमलेट बनाकर कीमतन बिक्री की जा रही थी । दुकान परिसर में तलाशी के दौरान पाये गये 3 घरेलू गैस सिलेण्डर को वजह सबूत जरिये फर्द जब्ती मौके पर ही जब्त किया गया, जिनका विवरण फर्द जब्ती में किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार निम्न है–

S.N.	S.R.No.	Co.	T.W.	G.W	N.W. Gas
1-	1710775	HPC	15.8 Kg	20.0 Kg	4-2 Kg
	5277735	HPC	15.8 Kg	16.7 Kg	0-91 Kg
	7066665	IOC	15.9 Kg	16.0 Kg	0-1 Kg

उक्त जब्तशुदा 3 घरेलू गैस सिलेण्डर को मौके पर ही मैसर्स श्री गैस एजेन्सी कोटा के कर्मचारी श्री नन्द सिंह पुत्र दशरथ सिंह को सुपुर्दगी में दिये गये । सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया । इस प्रकार श्री अरूण साकीवाल पुत्र श्री दानमल द्वारा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (बी), 4(1) (ए), 6 व 7 का स्पष्ट उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है ।

Scanned by CamScanner

अतः उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 03 घरेलू गैस सिलेण्डर्स मय उनमें भण्डारित एल.पी.जी. को राजसात करने के आदेश फरमावें । साथ ही जप्तशुदा गैस सिलेण्डर्स से एल.पी.जी.लीक हो सकने के कारण गैस सिलेण्डर्स का अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने का कष्ट करें ।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 बी के अधीन नोटिस जारी किया गया । नोटिस अदम तामिल प्राप्त । तामिली रिपोर्ट में थानाधिकारी जवाहर नगर द्वारा रिपोर्ट अंकित की है कि दिये गये पते पर पूछताछ की गई कोई पता नहीं चला । इस प्रकार निर्धारित पते पर अप्रार्थी के नहीं मिलने से प्रकरण के निस्तारण हेतु अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है । पेरोकार रसद की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया दिनांक 03.03.2016 को अवैध घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु गठित जांच दल के द्वारा जवाहर नगर स्थित मैसर्स मोर्डन अण्डा सेन्टर, कोटा की वक्त मौका जांच में दुकान पर मौजूद मालिक श्री अरूण साकीवाल पुत्र श्री दानमल, उपस्थित मिले जिन्होंने स्वयं को दुकान का मालिक होना जाहिर किया । अरूण साकीवाल की उपस्थिति में दुकान की जांच की गई । जांच के दौरान 03 घरेलू गैस का सिलेण्डर का उपयोग आमलेट बनाकर कीमतन बिक्री किया जाने पर राजहित में जब्त किये गये ।

4. इस प्रकार श्री अरूण साकीवाल पुत्र श्री दानकल निवासी एलआईसी बिल्डिंग के सामने महावीर नगर कोटा, मैसर्स मोर्डन अण्डा सेन्टर जवाहर नगर, कोटा द्वारा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से संग्रहण कर द्रवित पेट्रोलियम (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1), (ए),(बी) का स्पष्ट उल्लंघन किया है।

5. अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत सीज्ड माल 03 (तीन) घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात (Confiscation) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी कोटा को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तामील तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।

6. निर्णय आज दिनांक 19.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला कलेक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner